रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-734/2025/1974/22-2-2023-17(59)/2021

लखनऊ दिनांक: 02 जुलाई, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नूर मौहम्मद (बन्दी सं0-13853) पुत्र श्री निजामुद्दीन, जो दरकावदा, थाना-बिनौली, जनपद-मेरठ हाल पता-बागपत का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-160/1994, भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0-1, मेरठ के दण्डादेश दिनांक 23-11-2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक-04-10-2021 तक अपरिहार 17 वर्ष, 10 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 11 माह 17 दिन की सजा भोगी गयी है, अच्छा जेल आचरण एवं दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो, तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बागपत के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-734/2025/1974(1)/22-2-2023-17(59)/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।**
2- **जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।**
3- **पुलिस अधीक्षक, बागपत।**
4- **वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।**
5- **निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
6- **निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
7- **कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।**
8- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh